फा0 सं0. 42/15/2011-पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

******

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 21-10-2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्र सरकार के पेंशनभोगी जोकि अस्थायी पेंशन या 5वीं सीपीसी के पूर्व संशोधित वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, को 1.7.2011 से प्रभावी महंगाई राहत के अनुदान के संबंध में ।

इस विभाग के का0 ज्ञा0 सं0 42/15/2011-पी एण्ड पी डब्ल्यू (जी), दिनांक: 11.4.2011 के क्रम में, केन्द्र सरकार पेंशनभोगी, जो अस्थाई पेंशन या 5वीं सीपीसी के पूर्व-संशोधित वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, के लिए महंगाई राहत मंजूर करते हुए, राष्ट्रपति इन केंद्र सरकार पेंशनभोगियों को निम्नानुसार महंगाई राहत प्रदान करती है:

(i) जो अस्थाई पेंशन या 5वीं सीपीसी के पूर्व-संशोधित वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे 1.7.2011 से @ 127% महंगाई राहत के हकदार हैं ।

(ii) उत्तरजीवित सीपीएफ लाभभोगी जो 18.11.1960 से 31.12.1985 तक की अवधि के बीच सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा इस विभाग के का0 ज्ञा0 सं0 45/52/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू (ई) दिनांक 16.12.1997 के अन्तर्गत 1.11.1997 से @600/-रू0 प्र0 मा0 की अनुग्रहपूर्वक राशि प्राप्त कर रहे हैं, वे 1.7.2011 से @127% महंगाई राहत के हकदार हैं ।

2. सीपीएफ लाभभोगी की निम्नलिखित श्रेणियाँ, जो इस विभाग के का0 ज्ञा0 सं0 45/52/97-पी एण्ड पी डब्ल्यू(ई) दिनांक 16.12.1997 के रूप में अनुग्रहपूर्वक राशि का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, भी 1.7.2011 से @ 119% महंगाई राहत के हकदार हैं ।

(i) मृतक सीपीएफ लाभभोगी, जो 1.1.1986 से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, की विधवाएं एवं आश्रित बच्चे या जिनकी 1.1.1986 से पूर्व सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गई थी तथा 605 रू0 प्र0 मा0 का अनुग्रहराशि प्राप्त कर रहे हैं ।

(ii) केन्द्रीय सरकार के वे कर्मचारी जो 18.11.1960 से पूर्व सीपीएफ लाभ के अंतर्गत सेवानिवृत्त हो चुके थे तथा 654/-रू0, 659/-रू0, 703/-रू0 तथा 965/-रू0 की अनुग्रहपूर्वक राशि प्राप्त कर रहे हैं ।

3. महंगाई राहत के भुगतान में पैसे वाले अंश को अगले रूपए में परिवर्तित कर दिया जाएगा । भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग से संबंधित पेंशनभोगी/परिवार पेंशनभोगी को उनके आवेदन में, इन आदेशों को सी एण्ड एजी के परामर्श से जारी किया गया है ।

4. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के का0 ज्ञा0 सं0 1(4)/EV/2011 दिनांक 21.10.2011 की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(एस.पी.कक्कड़)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग । भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक ।
स्थाई डाक सूची के अनुसार ।